

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारानी अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०ए०))

वाद सं० : 446 रा० 2019

अनुवांन :-

1. जगदीश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. रामकरण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मुकेश कुमार पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. विमला पुत्री रामकरण पत्नि बिहारी जाति जाट साकिन गिगोरानी तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा
5. पुष्पा पुत्री गोगादेवी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी गिगोरानी तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा
6. कपिल पुत्र गोगादेवी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी गिगोरानी तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :-/15/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 13 बारानी के खाता संख्या 13/12 की कुल 1.3040 हैक में से 1/10 हिस्सा यानी 0.1340 हैक व रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 104/102 के कुल 3.7310 हैक में से 1/10 हिस्सा यानी 0.3731 हैक व रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 104/102 के कुल 3.7310 हैक में से 1/10 हिस्सा यानी 0.3731 हैक व खाता संख्या 105/103 की कुल 4.2240 हैक में से 1/5 हिस्सा यानी 0.8448 हैक व रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 91/89 की कुल 9.6520 हैक में से 73-3/10 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योलाल पुत्र जीराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा श्योलाल पुत्र जीराज के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्योलाल पुत्र जीराज के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री गोगादेवी का देहान्त हो गया है जिसे जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 5, 6 इसप्रकार वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी की बहने एवं बहनों के पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में

सहायक कलक्टर (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिससे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा जाने के अधिकारी हैं।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मूर्तवा कला की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देने तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये मत वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिकी किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिन के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा जाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जमिने सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को रवीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता श्योलाल पुत्र जीराज के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 जो वादी की बहन/मृतक बहन के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। ईकवाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल गिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल गिसल किया गया।


प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस रुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 13 बरानी के खाता संख्या 13/12 की कुल 1.3040 हैक में से 1/10 हिस्सा यानी 0.1340 हैक व रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 104/102 के कुल 3.7310 हैक में से 1/10 हिस्सा यानी 0.3731 हैक व खाता संख्या 105/103 की कुल 4.2240 हैक में से 1/5 हिस्सा यानी 0.8448 हैक व रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 91/89 की कुल 9.6520 हैक में से 73-3/10 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योलाल पुत्र जीराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा श्योलाल पुत्र जीराज के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्योलाल पुत्र जीराज के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री गोमादेवी का देहान्त हो गया है जिसे जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 5, 6 इसप्रकार वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी की बहने एवं बहनों के पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में


उप अधिवक्ता (राजस्व)
बोहर (हनुमानगढ़)

किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईक्याल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सवुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 13 बाराणी के खाता संख्या 13/12 की कुल 1.3040हैक में से 1/10 हिस्सा यानी 0.1340हैक व रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 104/102 के कुल 3.7310हैक में से 1/10 हिस्सा यानी 0.3731हैक व खाता संख्या 105/103 की कुल 4.2240हैक में से 1/5 हिस्सा यानी 0.8448हैक व रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 91/89 की कुल 9.6520हैक में से 73-3/10 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

भु0प्रबन्ध विभाग की जमावन्दी सन्वत् 2029 से 2038 के अनुसार वाद भूमि श्योलाल पुत्र जीराज के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योलाल पुत्र जीराज के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्योलाल पुत्र जीराज के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पोते/पोतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिव के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनकी वाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।


वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सवुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यगजर रटाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सवुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 बाराणी के खाता संख्या 13/12 की कुल 1.3040हैक में से 1/10 हिस्सा यानी 0.1340हैक व रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 91/89 की कुल 9.6520हैक में से 73-3/10 हिस्सा तथा रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 104/102 के कुल 3.7310हैक में से 1/10 हिस्सा यानी

22
उपस्थित अधिकारी (राजस्व)
कोर्ट (हनुमानगढ़)

0.3731 हैव व खाता संख्या 105/103 की कुल 4.2240 हैव में से 1/5 हिस्सा यानी 0.8448 हैव से 0.4038 भूमि से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2,3 व हैव का खातेदार कास्ताकार घोषित किया जाता है तथा रोही गौजा सोतीबडी के खाता संख्या 105/103 की कुल 4.2240 हैव में से 1/5 हिस्सा यानी 0.8448 हैव में से 0.441 हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के रालमन 5000/ रु स्टाम्प तकगीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हों तो बाद रहनमुका राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल गिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकगील जावा दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक /5/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसारे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रुल 6-7 जाया दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जगदीश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम

वादी

1. रामकरण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मुकेश कुमार पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. विमला पुत्री रामकरण पत्नि विहारी जाति जाट साकिन गिगोरानी तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा
5. पुष्पा पुत्री गोगादेवी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी गिगोरानी तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा
6. कपिल पुत्र गोगादेवी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी गिगोरानी तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 446 सन 2019 निर्णय दिनांक- 15/7/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 बारानी के खाता संख्या 13/12 की कुल 1.3040हैक में से 1/10 हिस्सा यानी 0.1340हैक व रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 91/89 की कुल 9.6520हैक में से 73-3/10 हिस्सा तथा खाता संख्या 104/102 के कुल 3.7310हैक में से 1/10 हिस्सा यानी 0.3731हैक व खाता संख्या 105/103 की कुल 4.2240हैक में से 1/5 हिस्सा यानी 0.8448हैक में से 0.4038 भूमि से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 105/103 की कुल 4.2240हैक में से 1/5 हिस्सा यानी 0.8448हैक में से 0.441हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)